

प्रेस नोट

(गौहत्या का एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार)

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय खागा के कुशल निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी/ गोकशों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 03.08.2022 को समय 04.30 बजे गोहत्या का अपराधी सुबराती शाह उर्फ सुब्बा पुत्र स्व० नादिर शाह निवासी ग्राम टिकरी थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर उम्र 58 वर्ष को प्राथमिक विद्यालय टिकरी, थाना सुल्तानपुर घोष से जिला फतेहपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को लिखा पढ़ी कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।

यह भी कि एक अभियुक्त फैयाज पुत्र अब्दुल रसीद निवासी ग्राम टिकरी थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर मौके से फरार होने में सफल रहा। अभियुक्तगण गोवंशों की हत्या कर उनके मांश का विक्रय कर धनार्जन करने के शातिर अपराधी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. सुबराती शाह उर्फ सुब्बा पुत्र स्व० नादिर शाह निवासी ग्राम टिकरी थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर उम्र 58 वर्ष ।
2. फैयाज पुत्र अब्दुल रसीद निवासी ग्राम टिकरी थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर मौके से फरार।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं०108/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना सु०घोष, फतेहपुर।
- 2- मु०अ०सं०109/22 धारा 4/5 विष्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना सु०घोष, फतेहपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उपनिरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।
2. कां० विवेक कुमार, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।
3. कां० मोहित वर्मा, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।
4. कां० संजीव कुमार, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।

